

**झारखंड उच्च न्यायालय, रांची**  
**सिविल विविध याचिका संख्या 1244/2023**

सच्चिदानंद देव उर्फ प्रताप देव

.....

प्रतिवादी संख्या

11 ए / याचिकाकर्ता

बनाम

1. रमेश सिंह
2. उमेश सिंह
3. रवीन्द्र सिंह

..... मध्यक्षेपकर्ता/उत्तरदाता

श्रवण कुमार देव .... वादी/प्रोफार्मा उत्तरदाता

5. बिजय देव
6. सहोदरी देवी
7. प्रवीण कुमार देव
8. नवनीत कुमार
9. निराला देवी
10. माधुरी देवी
11. राम प्रवेश देव
12. श्याम सुंदर देव
13. निराला देवी
14. परमिला देवी

.... प्रतिवादी/प्रोफार्मा उत्तरदाता

15. अश्विनी कुमार देव
16. नरहरि नर्मदेश्वर देव उर्फ ददन देव
17. पार्थसारथी शशि भूषण उर्फ राजा राम देव
18. गायत्री देवी
19. गुड़िया देवी
20. उमा देवी
21. बिंदेश्वरी देवी उर्फ निरुपमा देवी
22. मंजू देवी

..... प्रतिवादी/प्रोफार्मा उत्तरदाता

कोरम : माननीय न्यायमूर्ति सुजीत नारायण प्रसाद

याचिकाकर्ता के लिए - श्री राहुल कुमार गुप्ता अधिवक्ता

:

विपक्षी पार्टी के लिए - सुश्री तृष्णा सागर, अधिवक्ता

**05/दिनांक: 19.04.2024**

## अंतरवर्ती आवेदन संख्या 688/2024

1. प्रोफार्मा विपक्षी पार्टी नंबर 15, अर्थात् राजपति देवी के नाम को कारण शीर्षक (काँज टाइटल) से हटाने के लिए तत्काल अन्तर्वर्ती (इंटरलोक्यूटरी) आवेदन दायर किया गया है, जिनकी तत्काल याचिका के लंबित रहने के दौरान 27.12.2023 को मृत्यु हो गई थी।

2. याचिकाकर्ता के विद्वान वकील को सुना।

3. तात्कालिक अंतरवर्ती आवेदन में लिए गए आधार को ध्यान में रखते हुए,

इस न्यायालय का विचार है कि मृतक प्रोफार्मा विपक्षी पार्टी नंबर 15 के नाम को कारण शीर्षक (काज टाइटल) से हटाने की प्रार्थना को अनुमति दी जानी चाहिए

4. तदनुसार, तत्काल वादकालीन आवेदन में की गई प्रार्थना की अनुमति दी जाती है

5. प्रोफार्मा विपक्षी पार्टी नंबर 15 को इसके द्वारा विरोधी दलों की सरणी से हटा दिया गया है।

6. इसके मद्देनजर, अंतरवर्ती आवेदन संख्या 688/2024 को अनुमति दी गई है।

7. कार्यालय को विपरीत पक्ष की सरणी में आवश्यक विलोपन करने का निर्देश दिया जाता है।

## सिविल विविध याचिका संख्या 1244/2023

8. सुश्री तृष्णा सागर, विद्वान वकील द्वारा प्रस्तुत किया गया है कि आज

प्रोफार्मा प्रतिवादी संख्या 16 से 19 और 21 से 23 की ओर से वकालतनामा दायर किया गया है।

9.भारत के संविधान के अनुच्छेद 227 के तहत तत्काल सिविल विविध याचिका दायर की गई है, जिसके द्वारा और जिसके तहत, आवेदक की ओर से दायर की गई याचिका जिसकी ओर से आदेश 1 नियम 10 के तहत याचिका दायर की गई थी, जिसे विद्वान ट्रायल कोर्ट द्वारा अनुमति दी गई है, इस याचिका में चुनौती दी गई है।

10.तत्काल याचिका में की गई दलील के अनुसार मामले के संक्षिप्त तथ्यों को संदर्भित करने की आवश्यकता है जो निम्नानुसार है: -

11.यह याचिकाकर्ता का मामला है कि खाता संख्या 117 की भूमि

मौजा-पुनाई, थाना नं.-110, खेवत नं.-2/11 को सर्वेक्षण खतियान में बकास्त

के रूप में दर्ज किया गया था, जहां जमींदारों सुखलाल देव और महेश्वर देव

का बराबर हिस्सा था। सर्वेक्षण खतियान में मौजा पुनाई का खाता नंबर 123

गैरमाजुर्वा खास के रूप में दर्ज किया गया था, जहां जमींदारों सुखलाल देव

और महेश्वर देव का बराबर हिस्सा था। खाता नंबर 121 बरहन पुत्र लक्ष्मण

माहरा के नाम दर्ज किया गया था, जिनकी मृत्यु निःसंतान थी और इस तरह,

खाता नंबर 121 जमींदारों के पास वापस चला गया, अर्थात् सुखलाल देव और

महेश्वर देव।

12. वाद में दिए गए बयान के अनुसार कि वादी ने स्वयं कहा है कि सुखलाल देव और महेश देव नामक दो भाइयों के पास जो भूमि थी, उसका विभाजन उनके बीच किया गया था और प्रत्येक को पूरी संपत्ति का आधा हिस्सा आवंटित किया गया था। इस प्रकार, विभाजन वाद केवल उस हिस्से तक ही सीमित था जो सुखलाल देव को आवंटित किया गया था और विभाजन का दावा अनिवार्य रूप से सुखलाल देव के अन्य वंशजों के खिलाफ किया गया था। वादी ने महेश्वर देव के वंशजों के खिलाफ कोई दावा नहीं किया क्योंकि वादी के अनुसार स्वयं सुखलाल देव और महेश्वर देव के बीच विभाजन हुआ था और इसलिए, महेश्वर देव के कानूनी उत्तराधिकारियों के खिलाफ कोई दावा नहीं किया गया है। हालांकि, खाता नंबर 117 के भीतर प्लॉट नंबर 1570 का कुल क्षेत्रफल 67 डेसिमल था, सुखलाल देव और महेश्वर देव प्रत्येक भूमि के केवल 33.5 डेसिमल के हकदार थे, जो कि खाता नंबर 117, मौजा पुनाई, थाना नंबर 110, जिला- हजारीबाग के भीतर प्लॉट नंबर 1570 में 67 डेसिमल भूमि का 50 प्रतिशत था। भवनाथ देव और रामकेश्वर देव ने वर्ष 1938 में उक्त 50 प्रतिशत संपत्तियों/भूखंडों का निपटारा किया जो खाता संख्या हैं

117, मौजा पुनाई, थाना नं - 110 पुनाई, जिला- हजारीबाग और उनकी पत्नियों के पक्ष में, अर्थात्, किसमती देवी और अलखराज देवी जिसमें प्लॉट नंबर 1570 में 33.5 डेसिमल भूमि शामिल थी। तत्पश्चात्, उक्त बंदोबस्ती

लेने वाली किसमती देवी और अलखराज देवी के नाम जमींदार के समक्ष और राज्य के राजस्व अभिलेखों में निहित करने के बाद राजस्व अभिलेखों में दर्ज किए गए थे।

13. सुखलाल देव और महेश्वर देव की शाखा के बीच विभाजन का तथ्य बिल्कुल अंतिम था। महेश्वर देव ने 50 प्रतिशत भूमि बहू राजपति देवी के पक्ष में बन्दोबस्त की जो 6.72 x 1/2 एकड़ है। हालांकि, रमेश सिंह, उमेश सिंह, रवींद्र सिंह पुत्र स्वर्गीय अवध सिंह ने लक्ष्मण जोल्हा द्वारा निष्पादित दिनांक 10.9.1957 के बिक्री विलेख के आधार पर अपने अधिकार का दावा करते हुए सीपीसी के आदेश 1 नियम 10 के तहत एक आवेदन दायर किया। हालांकि, उक्त सेल डीड के पाठ से, ऐसा प्रतीत होता है कि उपरोक्त सेल डीड के विक्रेता ने दावा किया कि खाता नंबर 117 में से प्लॉट नंबर 1570 के 67 डेसिमल जो उन्हें भवनाथ देव ने हुकुमनामा दिनांक 02.07.1944 के माध्यम से बंदोबस्त किए थे और उस क्षमता में, वह जमीन का मालिक बन गया और इसे अवध सिंह को हस्तांतरित कर दिया।

14. भवनाथ देव द्वारा दी गई हुकुमनामा की पूरी कहानी इस तथ्य से गलत है कि यह दावा किया गया था कि भवनाथ देव ने प्लॉट नंबर 117 में से 67 डेसिमल भूमि का निपटान लक्ष्मण जोल्हा के पक्ष में 2.7.1944 के हुकुमनामा के माध्यम

से किया था। यह कहानी इस तथ्य के मद्देनजर बिल्कुल झूठी थी कि निर्विवाद रूप से भवनाथ देव और उनके भाई का प्लॉट नंबर 1570, खाता नंबर 117 में केवल 33.5 डेसिमल भूमि पर अधिकार था और यहां तक कि उक्त 33.5 डेसिमल में से भी भवनाथ देव के पास केवल 50 प्रतिशत था, अतः भवनाथ देव का केवल 16.75 डेसिमल भूमि पर अधिकार होने के कारण ग्राम-पुनाई जिला हजारीबाग के प्लॉट क्रमांक 1570, खाता क्रमांक 117 के पूरे 67 डेसिमल का निपटान नहीं हो सकता था।

15. इस प्रकार, मध्यक्षेपकर्ताओं द्वारा सामने रखी गई कहानी बिल्कुल असंभव थी और राज्य के राजस्व रिकॉर्ड के खिलाफ थी और इसलिए अन्यथा भी उन्हें तत्काल मामले में हस्तक्षेप करने और परिवार के सदस्यों के बीच विभाजन के लिए एक मुकदमे में अपना शीर्षक तय करने का कोई अधिकार नहीं था।

16. तथापि, सुखलाल देव की संपत्ति के विभाजन से संबंधित कतिपय विवाद उनके वंशजों के बीच उत्पन्न हुए, जिसके परिणामस्वरूप श्रवण कुमार देव द्वारा 2010 के विभाजन वाद 84 के रूप में पंजीकृत विभाजन वाद दायर किया गया। उक्त वाद में, वादी ने मुख्य रूप से प्रतिवादी नंबर 1 से 10 के

खिलाफ राहत के लिए प्रार्थना की, जो सभी सुखलाल देव के वंशज थे। यह पहले से ही हो चुका है कि सुखलाल देव और उनके भाई महेश्वर देव के बीच विभाजन विवाद में नहीं था, वाद के पक्षकारों द्वारा। उक्त वाद में, वाद संपत्ति, केवल वही संपत्तियां शामिल थीं जो सुखलाल देव के हिस्से को आवंटित की गई थीं और वादी केवल सुखलाल देव से संबंधित संपत्तियों में अपना हिस्सा मांग रहा था और इसलिए, याचिकाकर्ता को केवल प्रोफार्मा प्रतिवादी के रूप में पक्षकार बनाया गया था और उसके खिलाफ कोई राहत का दावा नहीं किया गया है। प्रतिवादी/याचिकाकर्ता को उक्त वाद में केवल प्रोफार्मा प्रतिवादी के रूप में पक्षकार बनाया गया था ताकि विवाद में मामले के पूर्ण निर्णय में मदद मिल सके।

17. उपर्युक्त वाद में, जिसे विभाजन वाद संख्या 2006 के रूप में पंजीकृत किया गया था, में दिनांक 10-11-2010 को 2005-06 के दौरान 2009-10 के दौरान 2009

2010 के रिट याचिका सं 84 में प्रतिवादी उपस्थित हुए और अपना लिखित वक्तव्य दायर किया। प्रतिवादी नंबर 1 से 10 ने लिखित बयान का 1 सेट दायर किया जबकि प्रतिवादी नंबर 11 श्रृंखला ने लिखित बयान का एक और सेट दायर किया।

18. हालाँकि, जब प्रतिवादियों के गवाहों के स्तर पर ट्रायल कोर्ट के समक्ष

मुकदमा लंबित था, तो प्रतिवादी संख्या 1 से 3 ने सिविल प्रक्रिया संहिता, 1908 के आदेश 1 नियम 10 के प्रावधानों के तहत 4.3.2022/10.3.2022 को एक हस्तक्षेप याचिका दायर की। हालाँकि, उक्त याचिका को विभाजन वाद संख्या 84/2010 में पारित सिविल जज सीनियर डिवीजन- III, हजारीबाग द्वारा दिनांक 22.5.2023 के आदेश के तहत अभियोजन न चलाने के कारण खारिज कर दिया गया था। हालाँकि, उक्त प्रतिवादी संख्या 1 से 3 ने 23.6.2023 को सिविल प्रक्रिया संहिता, 1908 के आदेश 1 नियम 10 के प्रावधानों के तहत फिर से एक हस्तक्षेप याचिका दायर की। प्रतिवादी संख्या 1 से 3 ने आदेश 1 नियम 10 के तहत अपने आवेदन में, मुख्य रूप से *अन्य बातों के साथ-साथ* कहा कि: -

a. वह लक्ष्मण जोल्हा पुत्र बुधन जोल्हा, गांव पुनाई, थाना इचक, जिला- हजारीबाग हुकुमनामा के आधार पर प्लॉट नंबर 1570 खाता नंबर 117 के 0.067 एकड़ क्षेत्र को मापने वाली भूमि का अधिग्रहण करता है। पूर्व जमींदार भवनाथ देव द्वारा दी गई और उसी पर कब्जा कर लिया गया और सेटलमेंट से किराया प्राप्त किया और राज्य में संपत्ति के निहित होने के बाद लक्ष्मण जोल्हा को उचित जांच के बाद रैयत के रूप में मान्यता दी गई थी और उनसे किराया प्राप्त होने पर सरकारी किराया रसीद भी जारी की गई थी।



- b. कि उक्त लक्ष्मण जोल्हा ने अपने अधिकार, शीर्षक, ब्याज, कब्जे और कानूनी आवश्यकताओं के लिए प्रयोग करते हुए याचिकाकर्ता के पिता अवध सिंह के पक्ष में पूरी जमीन को बिक्री के रजिस्टर डीड दिनांक 17/07/1957 के आधार पर बेच दिया और उसे उसी पर कब्जा कर लिया।
- c. कि खरीददार अवध सिंह ने खरीद के बाद अंचल अधिकारी के कार्यालय में अपना नाम उत्परिवर्तित करवाया और किराए की रसीद देने के एवज में उनका भुगतान करना शुरू कर दिया।
- d. उक्त अवध सिंह, जिनकी मृत्यु वर्ष 2020 में किसी समय हुई थी, याचिकाकर्ताओं को उनके कानूनी उत्तराधिकारियों और उत्तराधिकारियों के रूप में पीछे छोड़ते हुए, जो उनके हित में सफल हुए और किसी भी कोने से बिना किसी बाधा और आपत्ति के कब्जे में आते रहे, वादी और प्रतिवादियों से बहुत कम मुकदमे से और इस तरह याचिकाकर्ताओं को प्रतिकूल कब्जे का अधिकार प्राप्त होता है।
- e. कि वादी ने अपने बिक्री विलेख के आधार पर याचिकाकर्ताओं के कब्जे को दबाकर प्रतिवादियों के साथ मिलीभगत की, उसके खिलाफ डिक्री प्राप्त करने की दृष्टि से वाद में पक्षकार के रूप में पक्षकार के रूप में अभियोग नहीं लगाया।
- f. ऊपर बताए गए तथ्यों के मद्देनजर, याचिकाकर्ता मुकदमे में आवश्यक पक्ष

हैं ताकि न्यायालय को प्रभावी ढंग से और पूरी तरह से उन सवालों पर निर्णय लेने और निपटाने में सक्षम बनाया जा सके जो तब तक संभव नहीं हो सकते जब तक कि उन्हें मुकदमे में एक पक्ष के रूप में शामिल नहीं किया जाता।

g. चूंकि याचिकाकर्ता का दावा वाद की अनुसूची 'ए' भूमि से बाहर वर्तमान मुकदमे में शामिल भूमि से संबंधित है और इस तरह न्याय और इक्विटी के हित में इन याचिकाकर्ताओं को इस सूट के प्रतिवादी के रूप में शामिल करना वांछनीय है ताकि उनका दावा भी हो सके

इस विद्वान न्यायालय द्वारा निर्णय दिया गया।

19. वादी/प्रतिवादी नंबर 4, प्रतिवादी नंबर 1 से 10/प्रतिवादी नंबर 5 से 14 के साथ-साथ याचिकाकर्ता के हित में मूल प्रतिवादी नंबर 11/पूर्ववर्ती ने इस सिविल प्रक्रिया संहिता, 1908 के आदेश 1 नियम 10 के प्रावधानों के तहत हस्तक्षेपकर्ता द्वारा दायर उपरोक्त याचिका पर अलग-अलग जवाब दायर किए।

20. विद्वान ट्रायल कोर्ट ने पक्षों को सुना है और दिनांक 26.7.2023 के आदेश के तहत, मध्यक्षेपकर्ता/प्रतिवादी नंबर 1 से 3 द्वारा दायर मध्यक्षेप आवेदन दिनांक 23.6.2023 को गलती से अनुमति दी है और कानून की गलत धारणा के तहत, उक्त मध्यक्षेपकर्ता को विभाजन वाद संख्या 84/2010 के पक्ष के रूप में शामिल किया है।

21. तथ्यात्मक पहलू से यह स्पष्ट है कि जबकि वाद संपत्ति के विभाजन के लिए मुकदमा दायर किया गया है, आदेश 1 नियम 10 के तहत याचिका मध्यक्षेपकर्ताओं की ओर से दायर की गई थी, जिन्होंने पूर्वोक्त मुकदमे के लिए पार्टी को अपने पक्ष में इस आधार पर मुकदमा चलाने की मांग की है कि संपत्ति का हिस्सा बिक्री विलेख संख्या 5669 दिनांक 17.07.1957 होने के कारण उनके पक्ष में बेच दिया गया है।

22. आदेश 1 नियम 10 के तहत दायर याचिका में दिए गए बयान से ऐसा प्रतीत होता है कि मध्यक्षेप करने वाले, जिन्हें बाद में आक्षेपित आदेश के आधार पर कार्यवाही के लिए पार्टी के रूप में शामिल किया गया है, ने उस बंदोबस्त से खरीदकर विचाराधीन भूमि पर अपने अधिकार और शीर्षक का दावा किया है, जिसके पक्ष में भूमि सदाहुकुमनामा के आधार पर तय की गई थी।

23. प्रोफार्मा प्रतिवादी की ओर से एक आपत्ति दायर की गई थी, जो प्रश्न में संपत्ति का शेयरधारक होने का दावा करता है

चूंकि वाद प्रश्नगत संपत्ति में विभाजन के लिए है जो प्रश्नगत संपत्ति पर स्वामित्व का परस्पर हित है, इसलिए प्रश्नगत संपत्ति पर तीसरे पक्ष के साथ कोई संबंध नहीं है।

24. याचिकाकर्ता के विद्वान वकील ने पूर्वोक्त आधार के आधार पर प्रस्तुत

किया है कि चूंकि मामले के पूर्वोक्त पहलू को सीपीसी के आदेश 1 नियम 10 के तहत दायर याचिका की अनुमति देते समय विद्वान ट्रायल कोर्ट द्वारा विचार नहीं किया गया है, इसलिए, आदेश पेटेंट अवैधता से ग्रस्त है और इस तरह, कानून की नजर में टिकाऊ नहीं।

25. जबकि दूसरी ओर, सुश्री तृष्णा सागर, प्रोफार्मा प्रतिवादी संख्या 16 से 19 और 21 से 23 के विद्वान वकील जो प्रश्न में संपत्ति पर सह-हिस्सेदार होने के नाते समान अधिकार और हित होने का दावा करते हैं।

26. इस न्यायालय ने, पूर्वोक्त उद्देश्य के लिए और तथ्यात्मक पहलू पर विचार करने पर, विशेष रूप से दावे के आधार पर, जो विरोधी पक्षों की ओर से किया गया है, जिनके पक्ष में सीपीसी के आदेश 1 नियम 10 के तहत याचिका दायर की गई थी, उनके दावे के आधार पर उनके अभियोग के लिए अनुमति दी गई थी कि संपत्ति का हिस्सा उनके द्वारा उस समझौते से खरीदा गया था जिसके पक्ष में नाम पुण्य से तय किया गया था सदाहुकुमनामा का। हुकुमनामा के औचित्य पर अभी विचार किया जाना है, क्योंकि यह विद्वान विचारण न्यायालय द्वारा पारित आदेश के आधार पर नए पक्षकार विरोधी पक्षों के पक्ष में भूमि के हस्तांतरण का आधार है, जबकि सी. पी. सी. के आदेश 1 नियम 10 के तहत याचिका दायर करने की अनुमति दी गई है।

27. विद्वान ट्रायल कोर्ट द्वारा जो प्रासंगिक विचार दिया गया है, वह सीपीसी के आदेश 1 नियम 10 का बहुत दायरा है, जो कहता है कि यदि विद्वान ट्रायल कोर्ट इस निष्कर्ष पर पहुंचता है कि पार्टी की अनुपस्थिति में, मुकदमे का फैसला होने की संभावना नहीं है, तो कहा जाता है कि यह लिस (मुकदमा) का उचित निर्णय है, इसलिए, यदि सीपीसी के आदेश 1 नियम 10 के तहत याचिका दायर की जाती है, जिसमें संपत्ति पर कुछ रुचि दिखाई जाती है, तो उसे अनुमति देने की आवश्यकता है।

28. यहां, मामले के तथ्यों और परिस्थितियों में, स्वीकार्य रूप से, विभाजन का मुकदमा विचाराधीन संपत्ति के सह-हिस्सेदार के बीच दायर किया गया है। लेकिन संपत्ति का एक हिस्सा नए पक्षकारों के पक्ष में बेच दिया गया है, इसलिए, विभाजन वाद दायर करने के बारे में पता चलने के बाद और इस तथ्य के आधार पर कि संबंधित व्यक्ति के पक्ष में हित बनाया गया है जिसके पक्ष में भूमि सदाहुकुमनामा के माध्यम से किए गए समझौते के आधार पर बेची गई है।

29. यहां यह माना जाता है कि हुकुमनामा की संपत्ति और उक्त हुकुमनामा के अनुसरण में किए गए हस्तांतरण के प्रश्न पर विचार करने की आवश्यकता है, अन्यथा, यदि कोई उपकरण गलत कहा गया है, क्योंकि याचिकाकर्ता की

ओर से आधार लिया गया है, यहां तक कि इसे स्वीकार भी किया गया है, लेकिन सवाल यह होगा कि यह घोषणा कौन करेगा कि संपत्ति का उक्त हस्तांतरण कानून की नजर में वैध नहीं है। सिविल क्षेत्राधिकार के सक्षम न्यायालय द्वारा इस आशय की घोषणा देकर इसकी घोषणा की जानी है।

30. इसमें कोई विवाद नहीं है कि यदि विभाजन का मुकदमा दायर किया जा रहा है, तो यह है

प्रश्नगत संपत्ति पर ब्याज को प्रश्नगत संपत्ति के शेयरधारक के बीच विभाजित किया जाना है।

31. इसके अलावा, यह स्वीकृत तथ्य है कि विभाजन वाद के मुद्दे में, शीर्षक के किसी भी विवाद का कोई सवाल ही नहीं है क्योंकि यदि शीर्षक स्वीकार किया जाता है, तो संबंधित न्यायालय द्वारा दिया जाने वाला एकमात्र विचार है, एक या दूसरे सह-हिस्सेदार के पक्ष में बनाए गए शीर्षक पर विचार करके संपत्ति को विभाजित करने के लिए।

32. लेकिन यहां, यह स्वीकृत मामला है, क्योंकि, याचिकाकर्ता द्वारा इनकार नहीं किया गया है कि संपत्ति का हिस्सा एक के पक्ष में बेचा गया है और उपरोक्त विभाजन सूट के बारे में जानने के बाद और रमेश सिंह, उमेश सिंह और रवींद्र सिंह ने बिक्री विलेख संख्या 5669 दिनांक 17.07.1957 के आधार पर संपत्ति पर ब्याज पर विचार करते हुए, सीपीसी के आदेश 1 नियम 10

के तहत याचिका दायर की गई थी।

33. विद्वान ट्रायल कोर्ट ने उक्त याचिका पर विचार किया है और दिनांक 17.07.1957 के बिक्री विलेख संख्या 5669 को ध्यान में रखते हुए, जिसके द्वारा, रमेश सिंह, उमेश सिंह और रवींद्र सिंह अपने अधिकार का दावा कर रहे हैं और उसी के आधार पर, उन्होंने सीपीसी के आदेश 1 नियम 10 के तहत याचिका दायर की है और उस परिस्थिति में, यदि उक्त याचिका को आक्षेपित आदेश पारित करने के आधार पर विद्वान ट्रायल कोर्ट द्वारा अनुमति दी गई है, इस न्यायालय के सुविचारित दृष्टिकोण के अनुसार, इसे त्रुटि से ग्रस्त नहीं कहा जा सकता है, यह इस कारण से है कि मान लीजिए, विभाजन के मुकदमे का निर्णय सह-शेयरधारक के बीच संपत्ति को विभाजित करके किया जाएगा, तो बिक्री विलेख के आधार पर सृजित किया जाने वाला अधिकार अनिर्णीत रहेगा।

34. हालाँकि, यह प्रस्तुत किया गया है कि उक्त पंजीकृत बिक्री विलेख कानून की नज़र में मान्य नहीं है और इसके अलावा, समझौता स्वयं उचित नहीं था और नियम के अनुरूप नहीं था, यह विरोध करने का आधार हो सकता है लेकिन सवाल यह है कि इस संबंध में घोषणा नागरिक क्षेत्राधिकार के सक्षम न्यायालय से आनी है, अन्यथा, दिनांक 17.07.1957 के विक्रय

विलेख के आधार पर जो दस्तावेज बनाया गया है, वह अनिर्णीत रहेगा।

35. इस मामले के मद्देनजर, यदि याचिका दायर की गई है, जिसके आधार पर, दिनांक 17.07.1957 के विक्रय विलेख की अनुमति दी गई है, तो इस न्यायालय के सुविचारित दृष्टिकोण के अनुसार, यह नहीं कहा जा सकता है कि भारत के संविधान के अनुच्छेद 227 के तहत प्रदत्त शक्ति का प्रयोग करने में त्रुटि हुई है।

36. यह कानून की स्थापित स्थिति है कि भारत के संविधान के अनुच्छेद 227 के तहत प्रदत्त पुनरीक्षण क्षेत्राधिकार का प्रयोग करने वाले न्यायालय का अधिकार क्षेत्र बहुत कम है और इसका प्रयोग केवल तभी किया जा सकता है जब प्रकट त्रुटि या क्षेत्राधिकार संबंधी त्रुटि हो, इस संबंध में शालिनी श्याम शेट्टी बनाम राजेंद्र शंकर पाती के मामले में माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा दिए गए निर्णय का संदर्भ दिया जा सकता है। **(2010) 8 एससीसी 329 में रिपोर्ट किया गया है,** जिसमें माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने अनुच्छेद 227 का दायरा निर्धारित किया है जो उच्च न्यायालयों की पर्यवेक्षी शक्तियों से संबंधित है और डालमिया जैन एयरवेज लिमिटेड बनाम सुकुमार मुखर्जी के मामले में कलकत्ता उच्च न्यायालय की माननीय पूर्ण पीठ द्वारा दिए गए निर्णय की सहायता लेकर, जो **एआईआर 1951 कलकत्ता 193** में रिपोर्ट किया गया है जिसमें यह विहित किया गया है कि भारत के संविधान का अनुच्छेद 227 उच्च न्यायालय में निहित नहीं करता है



कम शक्ति को सीमित करें जिसे विशेष निर्णयों की कठिनाई को दूर करने के लिए न्यायालय के विवेक पर प्रयोग किया जा सकता है। अधीक्षण की शक्ति एक ज्ञात और अच्छी तरह से मान्यता प्राप्त चरित्र की शक्ति प्रदान करती है और उन न्यायिक सिद्धांतों पर प्रयोग किया जाना चाहिए जो इसे अपना चरित्र देते हैं। सामान्य शब्दों में, उच्च न्यायालय की अधीक्षण की शक्ति अधीनस्थ न्यायालयों को प्राधिकरण की सीमा के भीतर रखने की शक्ति है, यह देखने के लिए कि वे वही करते हैं जो उनके कर्तव्य की आवश्यकता है और वे इसे कानूनी तरीके से करते हैं।

1. अधीक्षण की शक्ति का प्रयोग तब तक नहीं किया जाना चाहिए जब तक कि वहाँ न हो;

(अ) क्षेत्राधिकार की एक अनुचित धारणा, जो अदालत या न्यायाधिकरण में निहित नहीं है; या

(आ) अधिकार क्षेत्र का सकल दुरुपयोग; या

(इ) अदालतों या न्यायाधिकरणों में निहित अधिकार क्षेत्र का प्रयोग करने के लिए एक अनुचित इनकार।

2. इसके अतिरिक्त, उपर्युक्त निर्णय में माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने **मणि नरीमन**

**दारूवाला बनाम फिरोज एन भटेना के मामले में दिए गए निर्णय की सहायता ली**

है, जिसकी रिपोर्ट (1991) 3 एससीसी 141 में की गई है, जिसमें यह निर्धारित किया गया है कि अनुच्छेद 227 के अधीन अधिकारिता का प्रयोग करते हुए उच्च न्यायालय केवल ऐसे मामले में अवर न्यायालय या अधिकरण के निष्कर्ष को रद्द या उलट सकता है जहां कोई साक्ष्य नहीं है या जहां कोई युक्तिसंगत व्यक्ति संभवतः उस निष्कर्ष पर नहीं पहुंच सकता था जिस पर न्यायालय या न्यायाधिकरण पहुंचा है।

3. माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने यह स्पष्ट कर दिया है कि इस सीमित सीमा को छोड़कर उच्च न्यायालय के पास निष्कर्ष में हस्तक्षेप करने का कोई अधिकार क्षेत्र नहीं है

4. इसके अलावा, लक्ष्मीकांत रेवचंद भोजवानी बनाम प्रतापसिंह मोहनसिंह परदेशी के मामले में माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा दिए गए निर्णय, (1995) 6 एससीसी 576 में रिपोर्ट किया गया है, यह निर्धारित किया गया है कि अनुच्छेद 227 के तहत उच्च न्यायालय कठिनाई या गलत निर्णयों की सभी प्रजातियों को सही करने के लिए असीमित विशेषाधिकार नहीं मान सकता है। इसका प्रयोग कर्तव्य की गंभीर उपेक्षा और कानून और न्याय के मौलिक सिद्धांतों के घोर दुरुपयोग तक सीमित होना चाहिए।

5. पूर्वोक्त निर्णय के पैराग्राफ 47 में यह निर्धारित किया गया है कि अनुच्छेद 227 के तहत क्षेत्राधिकार मूल नहीं है और न ही यह अपीलीय है।

अनुच्छेद 227 के तहत अधीक्षण का यह क्षेत्राधिकार प्रशासनिक और न्यायिक अधीक्षण दोनों के लिए है। इसलिए, अनुच्छेद 226 और 227 के तहत प्रदत्त शक्तियां अलग और विशिष्ट हैं और विभिन्न क्षेत्रों में संचालित होती हैं। इन दोनों न्यायालयों के बीच एक और अंतर यह है कि अनुच्छेद 226 के तहत उच्च न्यायालय सामान्य रूप से किसी आदेश या कार्यवाही को रद्द या रद्द कर देता है, लेकिन अनुच्छेद 227 के तहत अपने अधिकार क्षेत्र का प्रयोग करते हुए, उच्च न्यायालय, कार्यवाही को रद्द करने के अलावा, आक्षेपित आदेश को उस आदेश द्वारा प्रतिस्थापित भी कर सकता है जिसे अवर न्यायाधिकरण को करना चाहिए था।

6. यह भारत के संविधान के अनुच्छेद 227 के तहत उच्च न्यायालय द्वारा प्रयोग की जाने वाली शक्तियों के संबंध में भी निर्धारित किया गया है। उच्च न्यायालय, अधीक्षण के अपने अधिकार क्षेत्र का प्रयोग करते हुए, केवल न्यायाधिकरणों और न्यायालयों को अपने अधिकार की सीमा के भीतर अधीनस्थ रखने के लिए हस्तक्षेप कर सकता है, ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि ऐसे न्यायाधिकरण और न्यायालय क्षेत्राधिकार का प्रयोग करके कानून का पालन करते हैं जो निहित है

उन्हें और अधिकार क्षेत्र का प्रयोग करने से इनकार नहीं करके जो उनमें निहित है। इसके अलावा, उच्च न्यायालय अपनी अधीक्षण शक्ति के प्रयोग में हस्तक्षेप कर सकता है जब इसके अधीनस्थ न्यायाधिकरणों और न्यायालयों के आदेशों में स्पष्ट रूप से विकृति रही हो या जहां न्याय की घोर और प्रकट विफलता हुई हो या प्राकृतिक न्याय के बुनियादी सिद्धांतों का उल्लंघन किया गया हो।

7. अधीक्षण की अपनी शक्ति का प्रयोग करते हुए उच्च न्यायालय कानून या तथ्य की त्रुटियों को ठीक करने के लिए हस्तक्षेप नहीं कर सकता है या सिर्फ इसलिए कि इसके अधीनस्थ न्यायाधिकरणों या अदालतों द्वारा लिया गया एक और दृष्टिकोण एक संभावित दृष्टिकोण है। दूसरे शब्दों में, क्षेत्राधिकार का प्रयोग बहुत संयम से किया जाना चाहिए।

37. इस न्यायालय ने, इस तथ्य के साथ-साथ कानून की स्थिति के आधार पर पूर्वोक्त विचार को ध्यान में रखते हुए, यह विचार किया है कि यदि विद्वान ट्रायल कोर्ट ने आक्षेपित आदेश पारित किया है, तो उसे त्रुटि से ग्रस्त नहीं कहा जा सकता है।

38. तदनुसार, तत्काल याचिका विफल हो जाती है और खारिज कर दी जाती है।

39. प्रोफार्मा प्रतिवादी संख्या 16 से 19 और 21 से 23 की ओर से दायर वकालतनामा को रिकॉर्ड में रखा जाए।

(सुजीत नारायण प्रसाद, जे.)

रोहित/-ए.एफ.आर.

यह अनुवाद शिव बचन यादव, पैनल अनुवादक के द्वारा किया गया।





















